5. श्री खण्डेलवाल वैश्य बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबन्ध समिति, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर :–

इस विधालय की स्थापन वर्ष 1951 में हुई थी अनेक वर्षो तक विभिन्न स्थानो पर रहते हुए लगभग वर्ष 1967–1968 में वर्तमान स्थल संसार चन्द्र रोड, अनाज मण्डी, जयपुर के पास स्थानान्तरित किया गया ।

यह भूखण्ड यू आई टी जयपुर से बालिका स्कूल के लिये आवंटित करवाया गया था। प्रधानाचार्य कक्ष एवं 6 कमरो का निर्माण कराकर विधालय के मुख्य भवन में पहली क्लास से आठवी तक कक्षा लगती थी।

1968 से 1997 तक बालिकाओ की अध्ययन व्यवस्था के लिए कोई नया निर्माण नही हुआ। यहां तक की बालिकाओ के लिए लधुशंका गृह भी उपलब्ध नही थे। परन्तु विधालय क्रमोन्नत होकर 12वी कक्षा तक वाणिज्य एवं कला संकाय हो गयी। छात्राएँ को दरी पटटी बैठाकर पढाई कराने की व्यवस्था थी।

1998 से 2003 तक विधालय में बालिकाओ के लिए सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसके तहत लगभग 15 कमरे एवं एक गृह विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। बालिकाओ के लिए शौचालय छत लगभग 15000 वर्गफुट निर्माण किया गया। बालिकाओ के खेलकूद के लिए खो–खो बास्केटबॉल बैडमिटन एवं वॉलीबॉल ग्राउड 4800 वर्गफुट का निर्माण कराया गया। एक कमरे में इंडोर गेम्स की भी व्यवस्था की गई। पानी के पानी की कमी के कारण एक नलकूप एवं पानी की टंकी का भी निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त एक लाइब्रेरी कक्ष व बच्चो के बैठने के लिए पहली से पांचवी तक लकडी का फर्नीचर एवं 6 से 12वी तक के बच्चो के लिए लोहे का फर्नीचर बनवाया गया एवं प्राईमेरी से 1 से 5 तक अग्रेजी माध्यम की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी जो कि वर्ष 2004 में बन्द हो गयी।

वर्ष 2003 से 2009 के मश्य श्री अनंत बिहारी ताम्बी अध्यक्ष एवं श्री गिर्राज प्रसाद कटटा एडवोकेट और श्री डी पी गुप्ता एफ सी ए सचिव के द्वारा स्कूल में अग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारम्भ की गई। इसके लिए एक नया प्रिसिपल रूम, प्रबन्ध समिति कक्ष, तीन कमरे एवं एक्टिविटी हॉल का निर्माण किया गया।

वर्ष 2009 से 2020 के मध्य श्री मदन लाल पीतलिया अध्य्रक्ष श्री राजेन्द्र कुमार धामाणी सचिव , श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार धामाणी सचिव तत्पश्चात श्री राजेन्द्र कुमार धामाणी अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता सचिव बने।

इस कालखंड में सुसज्जित कार्यालय, नया शौचालय लाइब्रेरी कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, एवं दो कमरे प्ले ग्रुप के लिए निर्मित किये गये । प्लेग्राउंड के उपर लगभग 7000 वर्ग फुट का 35 फुट उचाई पर शेड का निर्माण कराया गया। एवं पूर ग्राउंड व एक्टिविटी हॉल के बाहर के

फर्श का कोटा लगाकर पुनर्निर्माण किया गया। पानी की निकासी के लिए लोन में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण किया। वर्तमान में दक्षिण दिशा में दो हाल का निर्माण के बनवाए गये इस प्रकार बालिकाओ के लिए सुरक्षित एवं सुसज्जित व्यवस्था हो गई।

प्रबंध समिति गठन वर्ष 1998 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन में प्रथक से प्रबंध समिति राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम 1989 सपठित 1993 के नियम 23 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार गठन हुआ।

परंतु संपूर्ण फंड प्रथक से गठित शिक्षा समिति के पास रह गया इसलिए तात्कालिक सचिव चंद्र मनोहर बटवाड़ा ने 1998 में अपने पास से राशि जमा कराकर बैंक में खाता खोला।

नियमानुसार समय पर निर्वाचन होना चाहिए इसलिए वर्ष 2002 में प्रबंध समिति ने पुनः निर्वाचन प्रक्रिया अपनाकर कर नई प्रबंध समिति का गठन किया।

वर्ष 1998 से वर्ष 2002 के मध्य शिक्षा समिति के सचिव सुरेश पाटोदिया द्वारा जमा राशि नहीं लौटाई जाने के कारण 10 माह तक वेतन नहीं दिया जा सका। महासभा के अध्यक्ष के चुनाव के समय वोट तात्कालिक विधायक मोहन लाल जी गुप्ता के जरिए बेचे गए और इसके बदले शिक्षा समिति से लगभग 250000 प्राप्त कर कुछ वेतन भुगतान किया गया।

इसके अतिरिक्त इन 4 वर्षों के दौरान शिक्षा समिति सचिव द्वारा इस विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यकलापों में व्यवधान कर कम से कम 15 बार अलग अलग विभाग विभागों में शिकायतें की गई। लेकिन अंत में लेखाधिकारी सचिवालय राजस्थान द्वारा चेतावनी देने पर कि भविष्य में शिकायत करने पर उनके विरुद्ध झूठी शिकायत का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा तत्पश्चात शिकायतों का दौर बंद हुआ।

नई प्रबंध समिति के निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सोहनलाल जी तांबी ने विधान एवम नियमावली में दिए गए अधिकारों से बाहर जाकर सीताराम जी सेठी को चुनाव संयोजक बनाकर अन्य समिति बनाने हेतु निर्वाचन कराने का प्रयास करने पर संबंधित प्रबंध समिति (निर्वाचित) द्वारा न्यायालय एसीजेएम 3 जयपुर से स्थगन आदेश दिनांक 26-2- 2004 (देखें MainOrders -PDF Page 92 to 98) प्राप्त कर लिया। जिस की अपील संयुक्त मंत्री प्रेमचंद गुप्ता एवं सीताराम सेठी द्वारा की गई जिसमें माननीय ADJ-5, जयपुर ने दिनांक 24-3-2004 निर्णय (देखें MainOrders -PDF Page 100 to 116) देते हुए निर्धारित किया कि प्रधानमंत्री के कार्यरत रहते हुए संयुक्त मंत्री को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। साथ ही ए.सी.जे.एम. 3 जयपुर के निर्णय में कोई विधि एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाने के आधार पर अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद उच्च न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे नियम अनुसार प्रत्येक 3 वर्ष बाद चुनाव कराकर नई प्रबंध समिति का गठन किया गया। परंतु सोहनलाल जी तांबी ने निष्कासित होने के बावजूद निरंतर व्यवधान करने के लिए विद्यालय की पृथक से अविधिक प्रबंध समिति गठन कर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन शिक्षा विभाग की विस्तृत जांच के पश्चात निर्णय में असफल रहने पर सन 2011 में भौतिक कब्जा करने का प्रयास किया जिसमें पुलिस में शिकायत के बाद कब्जा करने में असफल रहे।

निर्वाचन प्रकरण का पुनः वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया विवाद शिक्षा विभाग में मुख्य सचिव (शिक्षा) राजस्थान, तक गया- जहां संपूर्ण परीक्षण एवं दोनों पक्षों की लिखित सुनवाई के बाद आदेश दिनांक 04.02.2013 (देखें Order4 -PDF Page 1) दिया गया कि चंद्र मनोहर बटवाड़ा ग्रुप की प्रबंध समितिया ही वैद्य समितिया

है। इसके बाद पत्र दिनांक 17-04-2013 (देखें Order4 -PDF Page 2) में मदन लाल पीतलिया-अध्यक्ष, राजेंद्र कुमार धामाणी-सचिव, ओमप्रकाश खंडेलवाल-कोषाध्यक्ष के नाम सहित लिखकर वैधता का आदेश दिया गया।

इसके बाद इसके बावजूद भी सोहनलाल जी तांबी का ग्रुप अवैध कब्जा छोड़ने या न करने की गतिविधियों से बाहर नहीं आया और निरंतर कोई न कोई आपराधिक कार्य करते रहे। परंतु सदैव असफल रहे।

राजस्थान सहकारिता विभाग जयपुर से भी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर स्वयं को सही बताने का प्रयास किया लेकिन रजिस्ट्रार राजस्थान तक प्रकरण जाने पर उन्होंने चन्द्र मनोहर बटवाडा द्वारा प्रस्तुत पक्ष को स्वीकार करते हुए सभी अधिकारियो को सर्कुलर दिनांक 29.11.2007 (देखें Order3 -PDF Page 1) एवम (देखें Order2 -PDF Page 1) जारी कर राजस्थान के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोसायटी द्वार उनके द्वारा केवल प्रस्तुत कागजात की प्रमाणित प्रति दी जाती है, जो निर्वाचन की वैधानिकता का प्रमाण नहीं है, यह अधिकार केवल न्यायालय के पास है। इस प्रकार सोहनलाल तांबी यहां भी असफल हो गए